Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include Surjapuri caste of Bihar in the list of Other Backward Classes.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): बिहार के पूर्णिया कमिश्नरी के चार जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया क्षेत्रीय भाषा सुरजापुरी के आधार पर लोगों को सुरजापुरी कहा जाता है। बिहार राज्य के अन्य जिलों और देश के मुकाबले सुरजापुरी मुस्लिम की आर्थिक स्थिति दयनीय है। हालांकि बिहार सरकार ने लंबे संघर्ष और क्षेत्र के लोगों की लगातार माँग के बाद सुरजापुरी मुस्लिम को पिछड़ा वर्ग-बी.सी. (Backward Caste) का दर्जा प्रदान किया, जिसमें सीमित लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन सुरजापुरी समाज को व्यापक लाभ खासकर सरकारी नौकरियों के लिए केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) का दर्जा मिलना आवश्यक है। सुरजापुरी मुस्लिम को बिहार सरकार ने आरक्षण को मंजूरी दी, लेकिन केद्र में इस मुद्दे को मजबूती से नहीं रखा गया है। सीमांचल के सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी के लोग वर्ष 1995 से अपने हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आज तक उन्हें अधिकार नहीं मिला। सीमांचल में सुरजापुरी बिरादरी के लोगों की संख्या 20 लाख के लगभग है एवं सरकारी नौकरी में संख्या नहीं के बराबर है। वर्ष 2008 में सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने हेतु आवेदन एवं आग्रह किया गया था। इसके उपरांत आयोग द्वारा आवश्यक सूचना की विवरणी प्रश्नावली के माध्यम से मांगी गई थी। जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने समय सीमा के अंदर ही दे दिया था तथा बिहार सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अक्टूबर 2012 में अपनी रिपोर्ट केद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दी जा चुकी है। तमाम प्रयास के बावजूद अब तक सुरजापुरी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया जाना गंभीर विषय है।

अतः मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार के पूर्णिया कमिश्नरी के चार जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में रहने वाले सुरजापुरी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए।